झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

मनरेगा

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

भारत सरकार द्वारा रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत गाँव के वयस्क व्यक्तियों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा।

कौन लोग इस अधिनियम के अन्तर्गत रोजगार प्राप्त करने के हकदार हैं

1. ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले वयस्क व्यक्ति।

2. जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों।

पंजीकरण कैसे कराएं

अपनी ग्राम पंचायत में अपना पंजीकरण कराए। जिसमें अपना नाम, पता और आय लिखवाएं। यह पंजीकरण 5 वर्ष तक मान्य होगा।

जॉब कार्ड

पंजीकरण के बाद पंचायत का यह कर्तव्य है कि वह जाँच करके पंजीकृत व्यक्तियों को एक फोटो युक्त जॉब कार्ड जारी करे।

रोजगार के लिए कहाँ और कैसे आवेदन करें

काम के लिए आवेदन लिखित रूप में अपनी ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी को देना होगा। आवेदन कम से कम 14 दिन के लगातार काम के लिए होना चाहिए किंतु सप्ताह में छः दिन से अधिक नहीं।

आवेदक को आवेदन देने के 15 दिनों के अन्दर रोजगार प्रदान किया जाएगा न्यूनतम 10 आवेदकों के जुट जाने पर योजना कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

आपको कैसे जानकारी मिलेगी कि आपको रोजगार प्रदान किया गया है

ग्राम पंचायत पत्र द्वारा सूचना देकर आवेदक को यह बताएगी कि काम के लिए कहाँ और कब आना है।

ऐसी जानकारी ग्राम पंचायत के सूचनापट तथा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय पर भी लगाई जाएगी।

महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता

महिलाओं को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी जिससे कि रोजगार पाने वालों में कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं की हो।

मजदूरी

दैनिक मजदूरी की दर सरकार द्वारा तय की गई प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं हो सकती है। दैनिक मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक हो सकता है, परन्तु भुगतान काम करने के 15 दिनों के अन्दर हो जाना चाहिये।

मजदूरी का भुगतान नकद या उसके बदले किसी वस्तु के रूप में किया जा सकता है, किन्तु एक चौथाई वेतन या भुगतान नगद ही होना चाहिये।

बेरोजगारी भत्ता

यदि किसी चयनित व्यक्ति को आवेदन पत्र जमा करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा जो कि कम से कम पहले 30 दिनों के लिये मजदूरी का एक चौथाई और बाकी समय के लिए मजदूरी का आधा होगा।

कार्य आवेदक के निवास स्थान के 5 किलोमीटर के भीतर प्रदान किया जाएगा। यदि काम ऐसे स्थान के भीतर नहीं दिया जाता है तो ब्लॉक में दिया जाएगा और मजदूर के आने– जाने के खर्च को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में मजदूरी का 10 प्रतिशत दिया जाएगा।

काम के दौरान दुर्घटना में शारीरिक क्षति होने पर मुफ्त इलाज कराया जाएगा। अगर किसी मजदूर की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो मजदूर को 25,000 रूपए या ऐसी रकम जो केन्द्र सरकार अधिसूचित कर दी जाएगी।

अगर काम के दौरान किसी मजदूर को चोट आ जाए, तो उसका मुफ्त इलाज कराया जाएगा तथा इलाज के दौरान मजदूरी का आधा रकम भी दी जायेगी।

मजदूरों के लिए विशेष सुविधाएं

काम की जगह पर पीने का स्वच्छ पानी, बच्चों के लिए तथा विश्राम की अवधि के लिए शेड्स, और प्राथमिक चिकित्सा /उपचार पेटी उपलब्ध कराई जाएगी।

अगर काम करने वाली महिलाओं के साथ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या पांच या उससे ज्यादा है तो ऐसी महिलाओं में से किसी एक महिला को बच्चों की देखभाल करने के लिए रखा जाएगा।

इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जाएंगे :–

जल संरक्षण एवं जल संग्रहण, सूखा निवारण, वन रोपण और वृक्ष रोपण, तालाबों से गाद निकालना, मध्यम वं लघु सिंचाई कार्य, बारहमासी सडक संपर्क आदि।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें:
न्याय सदन
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
ए0जी0 ऑफिस के समीप, डोरण्डा, रॉची,
फोन : 0651–2431520, 2482392, फैक्स : 0651–2482397
अथवा
अपने जिले के व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार